भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4135
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- राजस्थान में पीएमएफबीवाई

4135. श्री भजन लाल जाटवः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजस्थान के किसानों की फसलों को हुए नुकसान के लिए उन्हें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत समय पर प्रतिकर नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं।

(ख) क्या केन्द्र सरकार का इस संबंध में बीमा कंपनियों को सख्त निर्देश देने का विचार है:

(ग) क्या दावा निपटान प्रक्रिया जटिल और लंबी है जिसके कारण किसानों को अपना दावा प्राप्त करने के लिए कई महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(घ) क्या सरकार का दावा प्रक्रिया में सुधार करने और उसे सरल बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:

(ङ) क्या राजस्थान के किसानों के दावों के निर्धारण और फसल बीमा योजना में पारदर्शिता का अभाव है;

(च) क्या किसानों को हुए नुकसान की तुलना में उन्हें काफी कम प्रतिकर मिलता है; और

(छ) क्या सरकार का डिजिटल माध्यम से पारदर्शिता लाने के लिए नए कदम उठाने का विचार है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (छ): प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रावधानों के अनुसार, क्षेत्र आधारित/व्यापक आपदा/सीजन समाप्ति दावों के मामले में, राज्य सरकार को अंतिम फसल कटाई के एक महीने के भीतर राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) पर वास्तविक और थ्रेसहोल्ड उपज डेटा प्रस्तुत/अपलोड करना होता है। अंतिम दावों की गणना एनसीआईपी पर की जानी है और एनसीआईपी पर दावों की गणना से 21 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना है। इसके अतिरिक्त, स्थानीय आपदाओं और फसल कटाई के बाद के नुकसान के मामले में जहां दावों की गणना की जाती है और व्यक्तिगत खेत स्तर पर भुगतान किया जाता है, दावों को राज्य के आदेश/घटना को लागू करने वाली अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर वितरित किया जाना है।

बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना के लिए फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जा रहे हैं। योजना के उचित निष्पादन के लिए योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों में प्रत्येक हितधारक की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया है।

तथापि, अधिकांश दावों का निपटारा योजना के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा के भीतर कर दिया जाता है, फिर भी बैंकों द्वारा बीमा प्रस्तावों को गलत/विलंब से प्रस्तुत करने के कारण भुगतान न किए जाने, भुगतान में देरी और दावों के कम भुगतान के बारे में उपज के आंकड़ों में विसंगति और इसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार और बीमा कंपनियों के बीच विवाद, राज्य सरकार का हिस्सा प्रदान करने में देरी, बीमा कंपनियों द्वारा पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती न करना आदि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। योजना के अंतर्गत स्थापित चरणबद्ध शिकायत निवारण/विवाद समाधान तंत्र के अनुसार अधिकांश शिकायतों का उचित ढंग से समाधान किया गया है।

सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन को मजबूत करने, पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं:

- सरकार ने सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना का प्रसार और किसानों के प्रत्यक्ष ऑनलाइन नामांकन सहित सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए व्यक्तिगत बीमित किसानों के विवरण को अपलोड/प्राप्त करने और एकल किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ों के एकल स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी)** का विकास किया है।
- दावा वितरण प्रक्रिया की सख्ती से निगरानी करने के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान के लिए **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत करना शामिल है, ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी निपटान सुनिश्चित किया जा सके। **खरीफ 2024 से, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो 12% का जुर्माना स्वचालित रूप से गणना करके राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (एनसीआईपी) के माध्यम से लगाया जाएगा। इससे दावों के निपटान में तेजी लाने में मदद मिलेगी** ।

- चूंकि यह योजना राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों की शिकायतों सहित दावों से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए योजना के संशोधित प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में चरणबद्ध शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को शिकायतों की सुनवाई करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान करने के लिए प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों में उल्लिखित विस्तृत अधिदेश दिया गया है।
- शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (केआरपीएच) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहां किसान अपनी शिकायतें/मुद्दे उठा सकते हैं। इन शिकायतों/मुद्दों के समाधान के लिए समयसीमा भी तय की गई है।
- इसके अतिरिक्त, योजना के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, **सीसीई-एग्री ऐप** के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) डेटा को कैप्चर करना और इसे राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को सीसीई के संचालन को देखने की अनुमति देना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

इस योजना के अंतर्गत हाल ही में वर्ष 2023-24 से वस्तुपरक फसल क्षति एवं नुकसान आकलन तथा पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकियों को भी कार्यान्वित किया गया है:

i. **यस-टेक (यील्ड एस्टीमेशन सिस्टम बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी)** को रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान में क्रमिक रूप से स्थानांतरित करने के लिए उपज का आकलन करने के साथ-साथ निष्पक्ष और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में मदद करने के लिए लागू किया गया है। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूं की फसलों के लिए शुरू की गई है जिसमें उपज अनुमान में 30% महत्व अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। खरीफ 2024 सीजन से सोयाबीन की फसल को जोड़ा गया है।

ii. जीपी और ब्लॉक स्तर पर हाइपर-लोकल मौसम डेटा एकत्र करने के लिए मौजूदा नेटवर्क के 5 गुना के बराबर स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) और स्वचालित वर्षा-मापकों (एआरजी) के नेटवर्क की स्थापना के लिए **विंडस (वेदर इंफॉरमेशन नेटवर्क एंड डेटा सिस्टम)** को लागू किया गया है। इसे भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के समन्वय में डेटा की अंतर-संचालन और साझाकरण के साथ स्वचालित मौसम स्टेशनों और स्वचालित वर्षा-मापकों के एक राष्ट्रीय एकीकृत नेटवर्क में

फीड किया जाएगा। विंडस न केवल येस-टेक के लिए बल्कि प्रभावी सूखा और आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

विभाग सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, वन-टू-वन मीटिंग तथा राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

प्राप्त अनुभव, विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के विचारों के आधार पर तथा बेहतर पारदर्शिता, जवाबदेही, किसानों को दावों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और योजना को अधिक किसान हितैषी बनाने के उद्देश्य से, सरकार ने समय-समय पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों को व्यापक रूप से संशोधित किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत पात्र लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से किसानों तक पहुंच सके।

जहां तक राजस्थान में पीएमएफबीवाई के कार्यान्वयन का संबंध है, राज्य में 31.01.2025 तक किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम और 2020-21 से 2023-24 तक भुगतान किए गए दावों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	**किसानों का प्रीमियम (रुपए करोड़में)**	**भुगतान किए गए दावे (रुपए करोड़ में)**
2020-21	903.36	4357.51
2021-22	823.79	5176.77
2022-23	838.97	4299.00
2023-24	1018.86	2430.25

इसके अलावा, पारदर्शिता लाने, उपज आकलन की दक्षता में सुधार करने के साथ-साथ योजना के तहत दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए, राजस्थान सरकार ने खरीफ 2024 से राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित उपज आकलन (यस-टेक) को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है।

*****